items of work for haulage of cylinders and other maintenance work within 15 metre Range was done by Contract labourers on 21-6-91;

(b) if so, whether the above action is in violation of the safety norms prescribed by a Committee on safety and operating procedure in LPG filling, Transportation and Distribution;

(c) if so, what steps are being taken to observe the safety norms in Bottling plants as per the Safety Committee's recommendations;

(d) whether the contractor engaged in LPG Bottling Plant, Jalandhar are registered;

(e) if not, whether the contractor labourers in Bottling Plant Jalandhar are brought under ESI, PF, Bonus schemes and given wages as per labour laws; and

(f) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Contract Labour in IOC Bottling Plant at Jalandhar

1532. SHRI SAMAR MUKHERJEE : Will the Minister of Labour be pleased to state :

(a) whether it is a fact in the Indian Oil Corporation Ltd. Bottling Plant, Suchi Pind, Jalandhar (Punjab). Contract labour was engaged on 22nd July, 1992 to load Filled LPG cylinders in the Truck;

(b) whether the Contractor thus engaged for loading work was a registered contractor as per labour Laws; and

(c) what are the details of steps that Government have taken to ensure contractor workers' safety, their minimum wages and implementation of labour laws while engaging them for loading and unloading work of LPG cylinders at Bottling Plants ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राज्य श्रम मंत्रियों की समिति का कृषि-श्रमिकों के बारे में प्रतिवेदन

1533. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों की समस्याओं की जांच करने के लिए गठित की गई राज्य-श्रम-मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो, इस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इन्हें कहां तक लागू किया है, और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने प्रतिवेदन का शीघ्र प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के श्रम सचिव को मामले में शीघ्र कारवाई करने के लिए लिखा है।

बीड़ी और सिगार उद्योगों के लिए भविष्य निधि अधिनियम लागू न किया जाना

1534. श्री मूलचन्द मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 7 वर्ष पूर्व दिए गए निर्णय के बावजूद बीड़ी और सिगार उद्योगों ने भविष्य निधि अधिनियम को लागू नहीं किया है,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार भविष्य निधि के रूप में वर्ष 1977 से भुगतान की गई राशि की वसूली करने तथा इसे बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याण कोष में अंतरित करने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?